इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक-14.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 09 वर्ष की बच्ची के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 05 वर्ष के कारावास की सजा तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 09 वर्ष की बच्ची के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 05 वर्ष के कारावास की सजा तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.10.2020 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादिनी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त रणवीर सिंह उर्फ लउआ पुत्र पंचम सिंह के विरुद्ध वादिनी के साथ अश्लीलता करने के संबंध मे थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0स0 411/20 धारा 354 भादवि बढोत्तरी धारा 9 (M)/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री बृजेश सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रणवीर सिंह उर्फ लउआ पुत्र पंचम सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम पैरोकार का0 मुलायम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 13.02.2024 को अन्तर्गत धारा 354 भादवि तथा 9 (M)/10 पॉक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय ASJ/स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा 05 वर्ष के कारावास की सजा तथा 10,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **रणवीर सिंह उर्फ लउआ पुत्र पंचम सिंह निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा**